MC/SEC
01st March, 2023

The Corporate Relations Department The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G-Block Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai 400 051	The Corporate Relations Department Department of Corporate Services BSE Limited 25th Floor Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400 001
Security Code : MANGLMCEM	**Scrip Code: 502157**

Sub: Newspaper advertisement regarding notice of postal ballot

Dear Sir/Madam,

With reference to the applicable provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copy of the notice published in **"The Financial Express" (in English) and "Rajasthan Patrika" (in Hindi)** on 01st March, 2023 w.r.t notice of the Postal Ballot sent by electronic mode only to those members whose names appears in the Register of Members/ List of Beneficial Owners maintained by the Registrar and Share Transfer Agent (**"RTA"**) of the Company/ Depositories respectively as at close of business hours on **Friday, February 24, 2023**, (the **'cut-off date'**) and whose e-mail IDs are registered with the RTA of the Company/ Depositories.

This is for your information and record.

Thanking you,
Yours faithfully,
For Mangalam Cement Ltd.

MANOJ KUMAR
Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2023.03.01 16:32:32 +05'30'

Manoj Kumar
Company Secretary

Encl.: as above

FINANCIAL EXPRESS
DATED 01.03.2023

MANGALAM CEMENT LIMITED

P. O. ADITYA NAGAR – 326 520, MORAK, DISTT. KOTA (RAJ.)
Tel: 07459-233127 • Fax: 07459-232036
E-mail: shares@mangalamcement.com • Website: www.mangalamcement.com
CIN: L26943RJ1976PLC001705

NOTICE FOR POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING DETAILS

NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, (**'Act'**) (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (**'Rules'**), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**'SEBI Listing Regulations'**) and the Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India (**'SS-2'**), each as amended, and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs (**'MCA'**) for holding General Meetings/conducting Postal Ballot process through e-voting vide General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020 read with General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, No. 22/2020 dated 15th June, 2020, No. 33/2020 dated 28th September, 2020, No. 39/2020 dated 31st December, 2020, No. 10/2021 dated 23rd June, 2021, No. 20/2021 dated 8th December, 2021, No. 3/2022 dated 5th May, 2022 and No. 11/2022 dated 28th December, 2022 (collectively the **'MCA Circulars'**), and other applicable laws and regulations, as amended from time to time (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), to the Members of Mangalam Cement Limited (the **'Company'**) in respect of passing the special resolutions as set out in the Postal Ballot Notice dated 11th February, 2023 through **Postal Ballot by remote e-voting process only ('remote e-voting')**.

Pursuant to the provisions of section 110 of the Act read with the Rules and the MCA Circulars, your Company has an option for the above mentioned resolutions, to seek the approval of the Members through Postal Ballot (via remote e-voting only), instead of getting the same passed at a General Meeting. Accordingly, if the resolutions are approved by the Members through Postal Ballot via remote e-voting, it shall be deemed to have been passed as if the same has been passed at a General Meeting of the Members convened in this regard.

In compliance with the MCA Circulars, the Notice of the Postal Ballot has been sent/emailed on 28th February, 2023 by electronic mode only to those members whose names appears in the Register of Members/ List of Beneficial Owners maintained by the Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Company/ Depositories respectively as at close of business hours on **Friday, February 24, 2023, (the 'cut-off date')** and whose e-mail IDs are registered with the RTA of the Company/ Depositories. As per the MCA Circulars, physical copy of the Notice, postal ballot forms and pre-paid business reply envelopes are not sent to members for this Postal Ballot. Members are requested to provide their assent or dissent through remote e-voting only. Further, the members who have not registered their email IDs can get register the same in the manner provided in the Notice of Postal Ballot.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (**'NSDL'**) to provide the remote e-voting facility to the Members. A person whose name is recorded in the register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the RTA of the Company/Depositories as on the cut-off date i.e. **Friday, February 24, 2023** shall be entitled to avail the facility of remote e-voting on the businesses as set out in the Postal Ballot Notice. The remote e-voting commences on **Wednesday, 01st March 2023 from 9.00 a.m. (IST) and ends on Thursday, 30th March 2023 at 5.00 p.m.** (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereof and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The detail instructions for remote e-voting for physical shareholders and Demat shareholders are provided in the Postal Ballot Notice. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. The voting rights of Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date.

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the RTA/Depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

i. Members holding shares in physical mode are requested to send Form ISR-1, SH-13, ISR-2 (if signature is not match with Company's record) to the registered office of the Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') of the Company i.e. MAS Services Ltd, T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area Phase-II, New Delhi-110020 for receiving the Postal Ballot Notice, remote e-voting instructions and User ID & Password.

ii. Members holding shares in demat form are requested to register/update mail id with your Depository Participant ("DP") and generate password as procedure given in e-voting instructions in the postal ballot notice.

Members may note that the Notice is also available on the Company's website www.mangalamcement.com and also on the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on the website of NSDL at https://evoting.nsdl.com. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice of Postal Ballot for information purposes only.

Shri Akshit Kumar Jangid, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 11285; C.P. No. 16300), has been appointed as the Scrutinizer by the Board of Directors for conducting the Postal Ballot through remote e-voting process in a fair and transparent manner in accordance with the applicable provisions of the Act & Rules.

On the completion of the scrutiny of remote e-voting of the Postal Ballot, the Scrutiniser will submit his report to the Company Secretary or any other authorised person by him, within prescribed timelines. The results of the Postal Ballot will be declared by Company Secretary of the Company or any other authorised person by him at the Registered Office of the Company at P. O. Adityanagar – 326520, Morak, Dist. Kota, Rajasthan within two (2) working days of the conclusion of the Postal Ballot. The resolutions, if passed by the requisite majority of Members, shall be deemed to have been passed on **Thursday, 30th March, 2023** i.e. the last date specified for receipt of votes through the remote e-voting process. The results of the Postal Ballot will be posted on the Company's website www.mangalamcement.com & NSDL e-voting website www.evoting.nsdl.com besides communicating to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.

In case of any queries/ grievances, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013 at evoting@nsdl.co.in

By Order of Board of Directors
For Mangalam Cement Limited
Sd/-
Manoj Kumar
Company Secretary
ACS-22913

Place: Morak-326520
Date: 28th February, 2023

अनुदान की मांग पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए नून व्यवस्था को लेकर सरकार कार्य शैली पर सवाल उठाया। होंने कहा कि कांग्रेस के चार साल शासन में प्रदेश में अपराधी ख़ौफ हो गए हैं। लूट, हत्या, लात्कार, चाकूबाजी जैसे संगीन मले लगातार बढ़ रहे हैं। कोटा पराध की श्रेणी में प्रदेश में टॉप टेन हरों में आ गया है। यह शर्मनाक थति है। लोग अपने को सुरक्षित सूस नहीं कर रहे हैं। वर्ष 2018 दिसंम्बर 2022 तक प्रदेश में पराधों में 27 प्रतिशत वृद्धि हुई है। हां 2018 में 170117 मुकदमे गए। प्रदेश बलात्कार के मामलों में पूरे देश में प्रथम है। इस अवधि में बलात्कार, छेड़छाड़ एवं हत्या के 7945 प्रकरण दर्ज हुए, जो देश में सर्वाधिक हैं।

कोटा में बढ़ रहे अपराध चिंतनीय

विधायक शर्मा ने कहा कि कोटा शहर राजस्थान के टॉप आपराधिक शहरों में आ रहा है। प्रदेश में हुई 259 चाकूबाजी की घटनाएं में अकेले 110 कोटा में हुई हैं। कोटा पुलिस का अपराध नियंत्रण पर कोई ध्यान नहीं है। व्यापारियों से चौथवसूली की जा रही है।

कोटा. स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि राज्य सरकार ने किसी भी नगरीय निकाय को चुंगी पुनर्भरण राशि का आवंटन बंद नहीं किया है। स्वायत्त शासन मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्य की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नगरपालिकाओं को चुंगी पुनर्भरण के रूप में दिए जाने वाली राशि में हर साल 10 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान है।

म्मेदगंज पक्षी विहार में नहीं होगा मत्स्य आखेट का ठेका

धायक संदीप शर्मा क सवाल पर सरकार का जवाब

टा @ पत्रिका. उम्मेदगंज पक्षी हार में मत्स्य आखेट का ठेका नहीं या जाएगा। सरकार ने मत्स्य भाग को उम्मेदगंज क्षेत्र में पक्षी क्षण में सहयोग देने के लिए त्स्याखेट का ठेका नहीं करने का अनुरोध किया गया है। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने विधानसभा में उम्मेदगंज पक्षी विहार कंजरवेटीव रिजर्व पर प्रश्न पूछा था। साथ ही पूछा था कि मत्स्य आखेट का ठेका बंद क्यों नहीं किया जाता। इस पर सरकार ने लिखित उत्तर में कहा कि कंजर्वेशन रिजर्व की वर्ष 2021 22 से 2030- 31 तक 10 वर्षों के लिए प्रबंधन योजना मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के आदेश पर स्वीकृत किया गया है। कैम्पा योजनान्तर्गत 15 हैक्टेयर हैबीटेट इम्प्रूमेन्ट कार्य तथा दीवार निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त क्षेत्र में मछली पालन ठेके प्रतिबंधित है। कंजर्वेशन रिजर्व से बाहर के क्षेत्र में मत्स्य विभाग द्वारा उम्मेदगंज के नाम से ठेका किया जाकर मत्स्याखेट कराया जाता है। इस संबंध में विभाग से मत्स्याखेट का ठेका नहीं करने का अनुरोध किया गया है।

ंदे नालों का पानी ट्रीटमेंट के बाद ही चम्बल नदी में छोड़ा जाएगा

टा @ पत्रिका. चम्बल नदी में आने वाले समय में गंदे नालों का पानी प्रवाहित नहीं होगा।

गंदे नालों का पानी ट्रीटमेंट के बाद ही प्रवाहित किया जाएगा। केशवरायपाटन विधायक चन्द्रकांता मेघवाल के प्रश्न के जवाब में विधानसभा में सरकार ने कहा कि नगर विकास न्यास की ओर से कोटा शहर नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत चम्बल नदी में गिरने ले 22 (3 अपस्ट्रीम व 19 डाउनस्ट्रीम) गंदे पानी के लों को चम्बल नदी में छोड़ने से पूर्व सीवेज ट्रीटमेंट ांट में भेजा जाएगा। सीवेज शुद्धीकरण के बाद ट्रीटेड नी को पुनः चम्बल नदी में छोड़ने के कार्य वर्तमान में तिरत है। यह कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण करवा दिया एगा। वर्तमान में रिवर फ्रंट पश्चिम के सभी नालों को कर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा ट्रीटमेंट बाद ट्रीटेड नी को चम्बल नदी में छोड़ा जा रहा है।

राजनीतिक पक्षपात के कारण चार साल बाद भी जीएसएस अधूरा

कोटा @ पत्रिका. लाडपुरा विधायक कल्पना देवी

ने मंगलवार को विधानसभा में शून्यकाल में बोरखेड़ा में चार साल पहले स्वीकृत हुए जीएसएस का निर्माण पूरा नहीं करने पर सरकार को घेरते हुए कहा कि राजनीतिक पक्षपात के कारण कार्य अटका रखा है। विधायक ने कहा कि बजट घोषणा 2019 में मुख्यमंत्री ने मेरे अनुरोध पर बोरखेड़ा सब स्टेशन को 33 केवी से 132 केवी में क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी। 4 व्रर्ष बाद भी इसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

इतने समय में भी जनहित की घोषणा का पूर्ण नहीं होना प्रशासनिक लापरवाही दर्शाता है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की क्रियान्विति को लेकर भी अधिकारी गंभीर नहीं है। सरकार जवाब दे कि कब तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा।

प्रेल परीक्षा के लिए 1 लाख से अधिक नए आवेदन

जनवरी सेशन के बीआर्क का परिणाम जारी

ईई मेन 2023

टा @ पत्रिका. जेईई मेन 2023 अंतर्गत आयोजित बी-किर्टेक्चर प्रवेश परीक्षा का रिणाम मंगलवार सुबह जारी कर या गया। 28 जनवरी को हुई परीक्षा 46 हजार विद्यार्थी शामिल हुए थे। आर्क का परिणाम देश के 16 ीनियरिंग संस्थानों की किर्टेक्चर ब्रांच में प्रवेश

सुनिश्चित करता है। इसमें 10 एनआईटी की 560, 6 जीएफटीआई की 398 सीटे हैं। जनवरी जेईई मेन के अब सभी परिणाम जारी हो गए। अप्रेल सेशन के लिए आवेदन जारी हैं। कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि अप्रेल सेशन के लिए 1 लाख से अधिक नए आवेदन हो चुके हैं। यह संख्या दो लाख तक पहुंच सकती हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 मार्च तक है। जनवरी में 9.15 हजार विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। अप्रेल सेशन की परीक्षा 6 से 12 अप्रेल के मध्य होगी। प्रवेश पत्र मार्च के तीसरे सप्ताह में जारी किए जाएंगे।

मंगलम सीमेंट लिमिटेड

पी.ओ. आदित्य नगर – 326 520, मोरक, जिला – कोटा (राज.)
टेलि: 07459-233127 फैक्स: 07459-232036
ई–मेल: shares@mangalamcement.com • वेबसाइट: www.mangalamcement.com
CIN: L26943RJ1976PLC001705

पोस्टल बैलेट और रिमोट ई-वोटिंग विवरण के लिए सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 (**'अधिनियम'**) की धारा 108 के साथ पठित धारा 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमित होने सहित) और कंपनी (**प्रबंधन और प्रशासन**) नियम, 2014 (**'नियम'**) के नियम 20 और 22 के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 (**'सेबी लिस्टिंग विनियम'**) और द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (**'एसएस-2'**), प्रत्येक के रूप में संशोधित, और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (**'एमसीए'**) द्वारा निर्धारित ई -वोटिंग के माध्यम से सामान्य बैठक/पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के आयोजन के सम्बन्ध में जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, संख्या 39/ 2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, संख्या 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, संख्या 3/2022 दिनांक 5 मई, 2022 और संख्या 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के साथ पठित (सामूहिक रूप से **'एमसीए परिपत्र'**), और समय-समय पर संशोधित अन्य लागू कानून और नियम (किसी भी वैधानिक संशोधन (एस) या फिर से लागू होने सहित), मंगलम सीमेंट लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों को पोस्टल बैलेट नोटिस दिनांक 11 फरवरी, 2023 में निर्धारित विशेष प्रस्तावों को **पोस्टल बैलेट के माध्यम से केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया ('रिमोट ई-वोटिंग') द्वारा** पारित करने के संबंध में एतद्वारा नोटिस दिया जाता है।

नियमों और एमसीए परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 110 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी के पास उपर्युक्त प्रस्तावों के लिए सामान्य बैठक में इसे पारित कराने के संबंध में पोस्टल बैलेट (केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से) के माध्यम से सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक विकल्प है। तदनुसार, यदि सदस्यों द्वारा पोस्टल बैलेट (रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से) के माध्यम से संकल्पों को अनुमोदित किया जाता है, तो इसे पारित माना जाएगा जैसे कि इस संबंध में बुलाई गई सदस्यों की एक सामान्य बैठक में इसे पारित किया गया हो।

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, पोस्टल बैलेट की सूचना 28 फरवरी, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा केवल उन सदस्यों को भेजी/ई-मेल की गई है, जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी मालिकों की सूची (क्रमशः आरटीए/डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए) में **शुक्रवार, 24 फरवरी, 2023 ('कट-ऑफ डेट')** को दिखाई देते हैं और जिनकी ई-मेल आईडी रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए')/ डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। एमसीए के परिपत्रों के अनुसार, इस पोस्टल बैलेट के लिए सदस्यों को पोस्टल बैलेट नोटिस की भौतिक प्रति, पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे नहीं भेजे गए हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से ही अपनी सहमति या असहमति प्रदान करें। इसके अलावा, जिन सदस्यों ने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, वे पोस्टल बैलेट की सूचना में दिए गए तरीके से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

कंपनी ने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (**'एनएसडीएल'**) की सेवाएं ली हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर (आरटीए/डिपॉजिटरी के द्वारा बनाए गए) में **कट-ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 24 फरवरी, 2023** को दर्ज किया गया है, वह पोस्टल बैलेट नोटिस में निर्धारित व्यवसायों पर रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। रिमोट ई-वोटिंग **बुधवार, 01 मार्च 2023 को सुबह 9.00 बजे (आईएसटी)** से शुरू होगी और **गुरुवार, 30 मार्च 2023 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी)** समाप्त होगी। एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को उक्त तिथि और समय के बाद वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। भौतिक शेयरधारकों और डीमैट शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग के विस्तृत निर्देश पोस्टल बैलेट नोटिस में दिए गए हैं। सदस्य द्वारा एक बार प्रस्तावों पर मतदान कर दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने या फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तारीख को कंपनी की पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।

प्रक्रिया उन शेयरधारकों के लिए, जिनकी ईमेल आईडी आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, user आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए और इस पोस्टल बैलेट नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग के लिए ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए:

i भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलेट नोटिस, रिमोट ई-वोटिंग निर्देश और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के पंजीकृत कार्यालय यानी MAS SERVICES LIMITED, टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-II, नई दिल्ली-110020 को फॉर्म आईएसआर-1, एसएच-13, आईएसआर-2 (यदि हस्ताक्षर कंपनी के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं) भेजें।

ii डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ मेल आईडी रजिस्टर/अपडेट करें और पोस्टल बैलट नोटिस में ई-वोटिंग निर्देशों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार पासवर्ड जेनरेट करें।

सदस्य ध्यान दें कि पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट **www.mangalamcement.com** और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध है और एनएसडीएल की वेबसाइट **https://evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है । एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, उसे पोस्टल बैलेट की इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए मानना चाहिए। श्री अक्षित कुमार जांगिड़, व्यवसायी कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 11285; सीपी संख्या 16300) को अधिनियम और नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बैलेट आयोजित करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है।

पोस्टल बैलेट की रिमोट ई-वोटिंग की जांच पूरी होने पर स्क्रूटिनाइजर निर्धारित समय सीमा के भीतर कंपनी सचिव या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। पोस्टल बैलेट के परिणाम कंपनी के कंपनी सचिव या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पोस्टल बैलेट के समापन के दो (2) कार्य दिवसों के भीतर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पी.ओ. आदित्यनगर - 326520, मोरक, जिला कोटा, राजस्थान में घोषित किए जाएंगे। । संकल्प, सदस्यों के अपेक्षित बहुमत से पारित होने पर, **गुरुवार, 30 मार्च, 2023** यानी रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से वोट प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि को पारित माने जायेंगे । पोस्टल बैलेट के परिणाम कंपनी की वेबसाइट **www.mangalamcement.com** and NSDL ई-वोटिंग वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com पर** पोस्ट किए जाएंगे, साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, आप **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013, ई-मेल **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेजें।

निदेशक मंडल के आदेश से
मंगलम सीमेंट लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
मनोज कुमार
कंपनी सचिव
एसीएस-22913

स्थान : मोरक-326520
दिनांक : 28 फरवरी, 2023

Samvad-2366